(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 03/2023
दिनांकः 5 अप्रैल, 2024

विषयः वर्ष 2024–25 के दौरान मालदीव गणराज्य को अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत मालदीव गणराज्य को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेंहू का आटा, चीनी, दाल, स्टोन एग्रीगेट्स और रिवर सैंड की निम्नलिखित मात्राओं को निर्यात करने की अनुमति प्रदान करती हैः

क्रम सं.	वस्तुएं	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अनुमत की जाने वाली मात्रा
1.	अंडे	नम्बर	427,536,904.20
2.	आलू	मीट्रिक टन	21,513.08
3.	प्याज	मीट्रिक टन	35,749.13
4.	चावल	मीट्रिक टन	124,218.36
5.	गेहूं का आटा	मीट्रिक टन	109,162.96
6.	चीनी	मीट्रिक टन	64,494.33
7.	दल	मीट्रिक टन	224.48
8.	स्टोन एग्रीगेट्स	मीट्रिक टन	1,000,000.00
9.	रिवर सैंड	मीट्रिक टन	1,000,000.00

2. वर्ष 2024–25 के दौरान मालदीव गणराज्य को उपर्युक्त मदों के निर्यात को किसी वर्तमान या भावी प्रतिबंध/निषेध से छूट प्राप्त होगी।

3. रिवर सैंड और स्टोन एग्रीगेट्स की उपरोक्त मात्रा के निर्यात के लिए कैपेक्सिल यह भी सुनिश्चित करेगा कि आपूर्तिकर्ताओं/एक्सट्रेक्टर्स ने उपयुक्त मंजूरी प्राप्त कर ली है और तटीय विनियमन जोन क्षेत्र में रेत का खनन नहीं किया गया है, जो तटीय विनियमन जोन अधिसूचना के तहत निषिद्ध है।

4. उपर्युक्त के अलावा, रिवर सैंड और स्टोन एग्रीगेट्स के निर्यात की अनुमति निर्यातक द्वारा संबंधित राज्य सरकारों, जहां से रिवर सैंड प्राप्त की जाती है के नामित नोडल प्राधिकारी से आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अधीन होगी। यह अनुमति 'रिवर सैंड' और 'स्टोन एग्रीगेट्स' के खनन से संबंधित किसी भी राज्य विधायन/न्यायिक आदेशों के भी अधीन होगी।

सं. सारंगी

5. <u>इस अधिसूचना का प्रभावः</u>

वर्ष 2024–25 के दौरान भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत मालदीव गणराज्य को अंडे, आलू, प्याज, चावल गेंहू का आटा, चीनी, दाल, स्टोन एग्रीगेट्स और रिवर सैंड के निर्यात की अनुमति उपर्युक्त पैरा 1 में दी गई तालिका में इंगित मात्रा के अनुसार प्रदान की गई है। मालदीव गणराज्य को उपर्युक्त मदों के निर्यात को निर्यात संबंधी किसी वर्तमान या भावी प्रतिबंध/निषेध से छूट प्राप्त होगी।

संतोष कुमार सारंगी 5.4.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/59/एएम20/ईसी/ई–20816 से जारी)